

विचार बिन्दु

सहकामी दीपक दसा, सोखे तेल निवास
कबीरा हीरा संतजन, सहजे सदा प्रकास –कबीर

राजस्थान के मुख्यमंत्री की गंभीरता और चिंता को दर्शाता है अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ संयुक्त अभियान

राजस्थान के 20 जिलों में अरावली पर्वतमाला की पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जल पुनर्भरण और रेगिस्तानीकरण के विस्तार को रोकने में भूमिका को देखते हुए राजस्थान सरकार अरावली संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध होने के साथ ही गंभीर है। राजस्थान के अलवर, खैरथल-तिजारा, झुझुनू, सीकर, जयपुर, टोंका, कोटपुतली-बहरोड, अजमेर, भीलवाड़ा, ब्यावर, टोंक, कुचामन-डीववाना, पाली, सिरोंही, राजसमंद, उदयपुर, सर्लुबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले अरावली पर्वतमाला श्रृंखला के दायरे में आते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अरावली को लेकर गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि उन्होंने ना केवल अरावली पर्वतमाला क्षेत्र अपितु प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश देते रहे हैं और इसके सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त होने लगे हैं। अरावली को लेकर पर्यावरणविदों, गैर सरकारी संगठनों और इंफ्लुएंसरों की चिंता से पहले ही मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा गंभीर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए 29 दिसंबर से 15 जनवरी, 2026 तक अरावली प्रभावित क्षेत्रों में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ संयुक्त अभियान संचालित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देश के तत्कालबाद खान विभाग ने बिना किसी देरी किये अरावली प्रभावित जिलों में संयुक्त अभियान चलाने की कुछ घंटों में ही तैयारी कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करते हुए माईस विभाग ही नहीं अपितु समूचे प्रशासन को सक्रिय कर दिया। सोमवार 29 दिसंबर से अभियान आरंभ हो गया है और प्रमुख सचिव माईस टी. रविकान्त ने स्पष्ट व सेल्फ स्पीकिंग दिशा-निर्देश जारी करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों से सीधे संवाद कायम कर सरकार की मंशा से ठोस कार्रवाई का संदेश दे दिया है। प्रमुख सचिव माईस श्री टी. रविकान्त अभियान की क्लोज मोनेटरिंग कर रहे हैं और उसी का परिणाम है कि शुरुआती तीन दिनों में ही उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त होने लगे हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने अरावली पर नवंबर माह में पारित आदेश को केप्ट इन एवेयेंस रख दिया है। नवंबर माह के अरावली पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के 10 से 15 दिन बाद जिस तरह से अरावली बचाओ-जीवन बचाओ आंदोलन ने जनआंदोलन का रूप लिया ठीक उसी तरह से केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अरावली के संरक्षण को लेकर सरकार की मंशा और ईच्छा शक्ति को यह कहकर स्पष्ट कर दिया कि अरावली पर्वतमाला से किसी तरह की छेड़छाड़ की अनुमति नहीं दी जाएगी। अरावली पर्वत श्रृंखला में खनन पट्टे नहीं जारी किये जाएंगे वहीं अरावली संरक्षित क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। इससे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर केन्द्र व राज्य सरकार दोनों ही अति गंभीर हैं। गुजरात, दिल्ली,

हरियाणा और राजस्थान तक फैली अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक क्षेत्र राजस्थान में आता है। राजस्थान के 20 जिले अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में आते हैं इनके साथ ही गुजरात के बांसकाटा, सांवरकांटा, अरावली और माहीसागर का कुछ हिस्सा, हरियाणा का गुरुग्राम, भीवाणी, नूह, चरकी दादरी, महेन्द्र गढ़ फरिदाबाद और रेवाड़ी, दिल्ली के नई दिल्ली से दक्षिण पूर्व, दक्षिण, पश्चिमी और सेन्ट्रल दिल्ली तक अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। इसमें कोई दो राय नहीं कि राजस्थान में ही अरावली पर्वतमाला का अधिकांश क्षेत्र आता है तो दूसरी ओर अरावली बचाओ अभियान देश में आज ज्वलंत मुद्दा और आंदोलन बन गया है। इसमें भी कोई दो राय नहीं अरावली राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण रही है और इसके संरक्षण के लिए आज नहीं अपितु राजस्थान सालों से प्रयासरत रहा है। अरावली थार के रेगिस्तान को विस्तारित होने से रोकने की दीवार रही है। अरावली में जैव विविधता के साथ ही जल संरक्षण में भी प्रमुख भूमिका रही है।

अरावली प्राचीनतम पर्वतमाला होने के साथ ही थार के रेगिस्तान को फैलने से रोकने की एक तरह से प्राकृतिक दीवार है। थार के रेगिस्तान का विस्तार रोकने में अरावली की प्रमुख भूमिका रही है। यह भी सही है कि अरावली की कोख में खनिज संपदा का भण्डार भरा पड़ा है। यहां तक कि आज के दुर्लभतम और अत्यधिक महत्वपूर्ण खनिज रेयर अर्थ एलिमेंट, क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरलों के विशाल डिपोजिट्स अरावली पर्वतमाला की कोख में समाये हुए हैं। अरावली को लेकर सबसे बड़ा संकट अवैध खनन को लेकर भी है। अवैध खनन में प्रभावशाली व स्थानीय लोगों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी से इंकार नहीं किया जा सकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का अरावली प्रभावित क्षेत्र के 20 जिलों में 29 दिसंबर से 15 जनवरी, 2026 तक अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ सघन अभियान चलाने का निर्णय इस मायने में महत्वपूर्ण हो जाता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान की सरकार अरावली के संरक्षण को लेकर गंभीर हैं। अभियान के दौरान पांच विभागों को संयुक्त रूप से जोड़ना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अरावली क्षेत्र में वन क्षेत्र भी है तो राजस्व विभाग से संबंधित क्षेत्र भी है। अवैध खनन परिवहन और ओवरलोडिंग आदि की समस्या को देखते हुए परिवहन विभाग को जोड़ा गया है तो कानून व्यवस्था की स्थितियों को देखते हुए पुलिस प्रशासन को जोड़ा गया है। जिला कलक्टर के मार्गदर्शन में अभियान का संचालन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिला कलक्टर सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय व स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अभियान को गति देने व सफल बनाने में कारगर भूमिका निभा सकते हैं। शुरुआती दो दिनों में ही बड़ी कार्रवाइयां करते हुए अवैध खनन गतिविधियों में लिप्त 12 एक्सक्वेटर व 137 वाहनों की जब्ती कर संबंधित पुलिस थानों को सुपुर्द कर दिया गया है। 14 एफआईआर, एक गिरफ्तारी और 7 हजार टन से अधिक अवैध भण्डारित खनिज जब्त किया जा चुका है। करीब करीब 30 लाख का जुर्माना वसूल कर राजकोष में जमा किया गया है।अभियान के दौरान दिन प्रतिदिन तेजी दिखाई दे रही है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अरावली के प्रति चिंता की सरहाना तो की ही जानी चाहिए और उन्होंने त्वरित निर्णय कर राज्य सरकार की इच्छाशक्ति को भी स्पष्ट कर दिया है। अब अरावली बचाओ अभियान चलाने वाले संगठनों और चिंता व्यक्त करने वालों का भी दायित्व हो जाता है कि वे सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर अवैध खनन गतिविधियों को नेस्तनाबूद करने के राज्य सरकार के संकल्प को पूरा करने में सहभागी बने। आंदोलन आंदोलन के लिए ना होकर अवैध खनन के रोग को मिटाने में भागीदारी बने तो निश्चित रूप से अरावली के प्रति जो देशव्यापी चिंता व्यक्त की जा रही है और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और उनकी सरकार गंभीर होकर अभियान चला रही है उसके सहभागिता से और अधिक बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अरावली बचाओं अभियान के भागीदारों को अरावली में अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई में भागीदार बनने से ही आंदोलन की उपादेयता सिद्ध हो पायेगी।

—अतिथि सम्पादक,
डॉ.राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
(वरिष्ठ लेखक)



रामनिवास बैरवा

राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ताजपोशी के दो वर्ष पूरे होने के जश्न मनाया जा रहा है। इसके अवसर पर व्यक्तियों की ताजपोशी के 100 दिन, एक साल, ग्यारह साल के जश्न मनाये

जाते रहे हैं जैसे कि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था उनकी ताजपोशी के दिन से ही शुरू हुई हो, जैसे कि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था निरन्तर न होकर राजतान्त्रिक राजाओं की ताजपोशी के दिन से ही राज व्यवस्था शुरू हुई हो।

इस प्रकार की विचारधारा, इस प्रकार की सोच लोकतन्त्र, संविधान और संवैधानिक निरन्तरता के लिए घातक भी है और लोकतान्त्रिक विकास को उल्टी दिशा में ले जाने के ही प्रयास है। व्यवस्था की निरन्तरता उन संवैधानिक संस्थानों में अभिव्यक्त होती है जो लोकतन्त्र के आधार स्तम्भ हैं तथा जश्न मनाने वालों की सत्ता की बागडोर सौंप देने के अवसर देते हैं।

ऐसे में अगर जश्न मनाने के लिए नई-नई परिभाषाएं गढ़ी जाती हैं तो यह

उनका संविधान और लोकतन्त्र में अविश्वास को ही दर्शाता है। क्योंकि लोकतन्त्र और संवैधानिक व्यवस्थाओं में व्यवस्थाओं का विकास होता है, उनकी निरन्तरता को बरकरार रखा जाता है। नई-नई परिभाषाएं गढ़-गढ़ कर अपने आपको ही प्रस्थान बिंदु नहीं बनाया जाता है और व्यवस्था की निरन्तरता को नकारा नहीं जाता है। तब मुख्य रूप से यही सवाल खड़ा होता है कि क्या उनके पहले किसी व्यवस्था का अस्तित्व था या नहीं?

वास्तव में देखा जाये तो संविधान द्वारा शासन व्यवस्था को दिये गये उत्तरदायित्व राज्यो की नीति के निदेशक सिद्धांतों में निहित है; जिनके द्वारा किसी भी सरकार की नेतृत्वकारी नीति को परखा जा सकता है कि वह

सत्ता की निरन्तरता में एक है और उनके विकास के वाहक है। अनुच्छेद 39 समग्र रूप से उस सरकार की सामाजिक, आर्थिक विकास की कसौटी है। अगर उनमें विकास दिखाई नहीं देता है तो कोई भी सरकार विरासत में प्राप्त विरासत की स्थिरता को ही जारी रखे है। ऐसे में यदि कोई शासनविधि विकास हो जाने का प्रचार करती है तो वह सिर्फ आंकड़ों का ही खेल है जिसे अलग-अलग संदर्भों में अलग-अलग तरह से प्रचारित किया जाता है। क्या किसानों की खेती-बाड़ी का विकास हुआ? क्या बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने वाले उद्योगों और अन्य सेवाओं का विस्तार हुआ? क्या सभी को मूलभूत शिक्षा उपलब्ध है? क्या सम्मानजनक जीवन-यापन का वातावरण बनाया गया

है? यदि हाँ तो धरातल पर क्या स्थिति है? आंकड़ों के लिए अगर पैमाने बदलकर विकास दिखाया जाता है तो वह जनता के साथ धोखधड़ी ही है, जैसे गरीबों को कम करके दिखाने के लिए गरीबों की आय को कम करके दिखाना ताकि उस तथ्य आमदनी से अधिक आय वाले सभी व्यक्ति-परिवार गरीबों की रेखा से बाहर है। ऐसे में विरासत में प्राप्त व्यवस्था को आगे बढ़ाने के बदले उसे उल्टी दिशा में मोड़ देना ही होता है। आंकड़ों में विकास का प्रचार वस्तुतः पड़यंत्रों से सत्ता प्राप्त करने वाले राजाओं की तरह अपनी अकर्मण्यताओं का ही बखान उपलब्धियों के रूप में किया करते है।

—रामनिवास बैरवा,
पूर्व क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

छह इंच की स्क्रीन और भविष्य की सुरक्षा: डिज़िटल युग की नई चुनौती



अशोक कुमार

आज के डिजिटल युग में पेरेंटिंग या परवरिश की परिभाषा पूरी तरह बदल चुकी है। पहले माता-पिता की चिंता यह होती थी कि बच्चा बाहर धूप में न खेले या गलत संगत में न पड़े, लेकिन आज सबसे बड़ी चुनौती बच्चे के हाथ में मौजूद वह 6 इंच की स्क्रीन है, जो पूरी दुनिया को समेटे हुए है।

डिजिटल पेरेंटिंग का अर्थ केवल बच्चों को तकनीक से दूर रखना नहीं है, बल्कि उन्हें तकनीक का सही, सुरक्षित और संतुलित उपयोग सिखाना है। यहाँ डिजिटल पेरेंटिंग के विभिन्न पहलुओं, चुनौतियों और समाधानों पर एक विस्तृत चर्चा दी गई है:

1. डिजिटल पेरेंटिंग की आवश्यकता क्यों?
भारत जैसे देश में, जहाँ इंटरनेट डेटा सबसे सस्ता है, वहाँ बच्चों की

पहुँच हर तरह के कंटेंट तक बहुत आसान हो गई है। जैसा कि हमने चर्चा की, अब शिक्षा में भी एनीमेशन और अनौपचारिक भाषा का प्रवेश हो रहा है। ऐसे में माता-पिता की भूमिका एक फिल्टर की तरह हो जाती है।

कंटेंट का सैलाब: इंटरनेट पर ज्ञान के साथ-साथ कचरा भी मौजूद है। बिना मार्गदर्शन के बच्चा यह तथ्य नहीं कर पाता कि उसके लिए क्या सही है।

सुरक्षा का सवाल: साइबर बुलिंग, ऑनलाइन ठगी और अनुपयुक्त कंटेंट (जैसे हिंसा या अश्लीलता) से बच्चों को बचाना डिजिटल पेरेंटिंग का प्राथमिक लक्ष्य है।

2. मुख्य चुनौतियाँ: जहाँ माता-पिता चूक जाते हैं

अ. डिजिटल बेबीसिटर की प्रवृत्ति:

आजकल माता-पिता खुद को व्यस्त रखने या बच्चे को शांत करने के लिए उसे मोबाइल थमा देते हैं। खाना खिलाते समय या सफर के दौरान मोबाइल देना एक लत की शुरुआत है।

ब. ज्ञान का अभाव:

कई बार बच्चे तकनीक के मामले में अपने माता-पिता से कहीं आगे होते हैं। माता-पिता को पता ही नहीं होता कि पेरेंटल कंट्रोल क्या है या बच्चा पढ़ें के पीछे क्या देख रहा है।

स. भाषा और व्यवहार पर प्रभाव: एड्युजिव लैंग्वेज वाले बच्चा ऐसे वीडियो देखता है जिसमें शिक्षक या पात्र अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वह उसे ही कूल और सामान्य मान लेता है। डिजिटल दुनिया में भाषाई मर्यादा बहुत तेजी से गिर रही है।

3. डिजिटल पेरेंटिंग के नकारात्मक प्रभाव (यदि ध्यान न दिया जाए)

शारीरिक स्वास्थ्य: आँखों की कमजोरी, मोटापा और नींद की कमी। मानसिक स्वास्थ्य: एकाग्रता में कमी, चिड़चिड़ापन और अकेलापना। सामाजिक कौशल का ह्रास: बच्चा स्क्रीन के साथ तो घंटों बिता सकता है, लेकिन वास्तविक जीवन में लोगों से बात करने में उसे झिझक होने लगती है।

4. एक प्रभावी डिजिटल पेरेंट कैसे बनें? (समाधान और रणनीतियाँ)

डिजिटल पेरेंटिंग का मतलब तानाशाही नहीं, बल्कि सहयोग है। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:

क. उम्र के अनुसार नियम तय करें
0-2 वर्ष: अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अनुसार, इस उम्र में स्क्रीन से पूरी तरह बचना चाहिए।

2-5 वर्ष: दिन में अधिकतम 1 घंटा, वह भी माता-पिता की

निगरानी में।

6 वर्ष से ऊपर: पढ़ाई और मनोरंजन के बीच एक स्पष्ट संतुलन। ख. डिजिटल डिटॉक्स और नो-फोन ज़ोन

घर में कुछ नियम बनाएँ, जैसे: खाना खाते समय कोई मोबाइल नहीं। सोने से 1 घंटा पहले सभी गैजेट्स बंद। रविवार का कुछ समय नो-गैजेट डे के रूप में मनाया।

ग. कंटेंट की गुणवत्ता की जाँच अगर बच्चा एनिमेटेड वीडियो से पढ़ रहा है, तो पहले आप उसे देखें। क्या उसमें इस्तेमाल की गई भाषा आपके परिवार के संस्कारों के अनुरूप है? जैसा कि हमने चर्चा की, शिक्षा में मनोरंजन अच्छी बात है, लेकिन अभद्रता नहीं।

घ. तकनीक का उपयोग सीखने के लिए करें, खोने के लिए नहीं बच्चे को सिखाएँ कि इंटरनेट केवल वीडियो देखने के लिए नहीं है। उसे कोडिंग, डिजिटल पेंटिंग, नई भाषाएँ सीखने या जानकारी खोजने के लिए प्रोत्साहित करें।

ड. खुद एक उदाहरण बनें डिजिटल पेरेंटिंग की सबसे बड़ी चुनौती खुद माता-पिता है। यदि आप खुद बच्चे के सामने हर समय फोन पर लगे रहेंगे, तो बच्चा आपकी बात कभी नहीं मानेगा। बच्चे वही करते हैं जो वे देखते हैं, वह नहीं जो उन्हें कहा जाता है।

5. किताबी ज्ञान और डिजिटल शिक्षा का संतुलन

बच्चे किताबों से दूर हो रहे हैं। डिजिटल पेरेंटिंग का एक बड़ा हिस्सा यह सुनिश्चित करना है कि बच्चा कानाज और स्वाही की दुनिया से जुड़ा रहे। बच्चों को लाइब्रेरी ले जाएँ उनके साथ बैठकर कहानियाँ पढ़ें। उन्हें समझाएँ कि वीडियो केवल एक झलक है, जबकि असली गहराई किताबों में ही मिलती है।

6. निष्कर्ष-- डिजिटल पेरेंटिंग कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। हमें बच्चों को तकनीक से डराना नहीं है, बल्कि उन्हें इतना समझदार बनाना है कि वे खुद सही और गलत के बीच फर्क कर सकें। भारत में आ रहे एनीमेशन आधारित शिक्षा के नए दौर में, माता-पिता को और भी सतर्क रहना होगा। शिक्षा में आधुनिकता का स्वागत है, लेकिन वह हमारे सांस्कृतिक मूल्यों, भाषा की शुचिता और किताबों की महत्ता की बलि देकर नहीं आनी चाहिए।

बच्चे को मोबाइल देना आसान है, लेकिन उसे संस्कार देना कठिन। डिजिटल युग में असली पेरेंटिंग वही है जो कठिन रास्ते को चुने।

—अशोक कुमार,
पूर्व कुलपति कानपुर, गोरखपुर विश्वविद्यालय, विभागाध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

पाटन : कोला की नांगल विद्यालय को अन्य विद्यालय में मर्ज करने का विरोध

शिक्षा निदेशालय के जारी आदेश में कोला की नांगल विद्यालय भवन को जर्जर बताते हुए इसे रैया का बास विद्यालय में मर्ज करने का निर्देश दिया गया था



ग्रामीणों ने मुख्य ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (सीबीईओ) को ज्ञापन सौंपा।

मरम्मत करवाई गई है। ऐसे में विद्यालय को मर्ज करने का कोई औचित्य नहीं है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि कोला की नांगल से रैया का बास की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है,

जिसका रास्ता जंगल और सुनसान क्षेत्र से होकर गुजरता है। छोटे बच्चों के लिए इस मार्ग से रोजाना आना-जाना बेहद असुरक्षित है और किसी भी प्रकार की अनहोनी की आशंका बनी रहती

है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि विद्यालय को कोला की नांगल में यथावत नहीं रखा गया तो वे अपने बच्चों को रैया का बास विद्यालय नहीं भेजेंगे। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर

■ ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय में पहले से ही 7 कमरे सुरक्षित स्थिति में हैं तथा हाल ही में जन सहयोग से 3 अतिरिक्त कमरों की मरम्मत कराई गई है

■ कोला की नांगल से रैया का बास की दूरी लगभग 3 किमी है, जिसका रास्ता जंगल और सुनसान क्षेत्र से होकर गुजरता है

आंदोलन की भी चेतावनी दी। इस दौरान सीबीईओ भंवर सिंह एवं एससीबीईओ महेश मोघा ने ग्रामीणों से वार्ता कर उनकी समस्याएं उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने तथा विद्यालय को यथावत रखने का प्रयास करने का आश्वासन दिया।



पंडित अनिल शर्मा

आज रवियोग रात्रि 8:04 तक है। राजयोग सायं 6:54 से रात्रि 8:04 तक है। भद्रा सायं 6:54 से आरम्भ होगी।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:38 तक, लाभ-अमृत 8:38 से 11:13 तक, शुभ 12:31 से 1:48 तक, चर 4:23 से सूर्यास्त तक। राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 7:20, सूर्यास्त 5:41

राशिफल

शुक्रवार 2 जनवरी, 2026

पौष मास, शुक्ल पक्ष, चतुर्दशी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत् 2082, युगशिरा नक्षत्र सायं 8:04 तक, शुक्ल योग दिन 1:07 तक, गर करण प्रातः 8:38 तक, चन्द्रमा आज प्रातः 9:26 से मिथुन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-धनु, चन्द्रमा-वृष, मंगल-धनु, बुध-धनु, गुरू-मिथुन, शुक्र-धनु, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज रवियोग रात्रि 8:04 तक है। राजयोग सायं 6:54 से रात्रि 8:04 तक है। भद्रा सायं 6:54 से आरम्भ होगी।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:38 तक, लाभ-अमृत 8:38 से 11:13 तक, शुभ 12:31 से 1:48 तक, चर 4:23 से सूर्यास्त तक। राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 7:20, सूर्यास्त 5:41



मेप

परिवार में मन को प्रसन करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। परिजन के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक यात्रा संभव है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



तुला

नवीन कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।



वृष

आर्थिक कार्यों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।



वृश्चिक

अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है।



मिथुन

व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। नौकरपेशा व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।



धनु

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यक्तिगत प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।



कर्क

व्यक्तिगत परेशानियां अभी यथावत बनी रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। आज अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है।



मकर

विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। मन में बना हुआ भय समाप्त होगा।



सिंह

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संपादित स्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है।



कुंभ

व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी।



कन्या

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



मीन

घर-परिवार में सुख-शान्ति बनी रहेगी। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।